

पत्रसंख्या-ज0सू0आनलाईन-89/2025/SPMZR/R/2025/60085

दिनांक- अप्रैल, 29, 2025

सेवा में,

आवेदिका श्रीमति साधना तिवारी निवासी-सुरेखापुरम कालोनी जबलपुर रोड मीरजापुर। पिन कोड-231001 मो0नं0-6387233091

कृपया अपने आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा मांगी गयी सूचना में अंकित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है के सम्बन्ध में आप द्वारा आपेक्षित वांछित सूचना सर्किल लालगंज कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा रही है जो बिन्दुवार निम्नवत्-

1- कृपया कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का आदेश साथ ही उन कर्मचारियों के नाम और पदनाम भी बताएं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न पीडीएफ दस्तावेज पर एक नजर डालें। मामला उत्तर प्रदेश सरकार के मानवाधिकार आयोग के सबसे सम्मानित सदस्य द्वारा पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित है। डायरी संख्या 3613/IN/2024 केस/फाइल संख्या 10035/24/55/2024 पीड़िता का नाम साधना तिवारी पंजीकरण तिथि 02/09/2024 निर्देशों के साथ निपटाया गया पुलिस अधीक्षक-मिर्जापुर 05/09/2024 कार्रवाई तिथि 05/09/2024, प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक- मिर्जापुर कार्यवाही- मैंने दिनांक 5 सितम्बर 2024 प्राप्त करने वाले लोक कर्मचारी का नाम व पदनाम उपलब्ध कराये।-सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

2-कृपया पुलिस अधीक्षक, जनपद मिर्जापुर के कार्यालय में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की रजिस्ट्री द्वारा भेजे गए आदेश दिनांक 05/09/2024 के संचार पर किए गए नोटिस प्रदान करें।-सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

3-कृपया मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 5 सितंबर 2024 पर पुलिस अधीक्षक, जनपद मिर्जापुर के कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करें।-सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

4-तर्क का अधिकार सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली का अपरिहार्य हिस्सा है जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में उद्धृत किया है, इसलिए यदि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक, जनपद- मिर्जापुर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसका कारण प्रदान करें।-सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

5-पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का नाम और पदनाम प्रदान करें जिनके डेस्क के माध्यम से मानवाधिकार आयोग का यह निर्देश पारित हुआ या आप कह सकते हैं कि यह संचार उनके द्वारा संसाधित किया गया था। शिकायतकर्ता साधना तिवारी की शिकायत में लगाए गए आरोप। शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शिकायत की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को भेजना उचित होगा, जो मामले की जंच करेंगे और शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संलग्न पीडीएफ दस्तावेज देखें- सूचना कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।


क्षेत्राधिकारी लालगंज
मीरजापुर-लालगंज
मीरजापुर

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक/जनसूचना अधिकारी, मीरजापुर को पत्र संख्या ज0सू0आनलाईन-89/2025/SPMZR/R/2025/60085 दिनांक- 11.4.25 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।